बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक 19/6/19

संख्या–17/विविध 1–81/2016– 410(17) /स्वा० मुजफ्फरपुर जिला में बच्चों में चमकी बुखार (**Accute Encephalitis Syndrome**) के बढ़ते मामले एवं चिकित्सकों की कमी को दृष्टिपथ में रखते हुए विभागीय अधिसूचना संख्या–408(17) दिनांक–18.06.2019 द्वारा डा0 नवीन्द्र कुमार, सीनियर रेजिडेन्ट, शिशु रोग विभाग, पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना को अधीक्षक, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर के अधीन प्रतिनियुक्त किया गया एवं संध्या 06.00 बजे तक प्रतिनियुक्ति स्थान पर योगदान करने का निदेश दिया गया।

डा0 नवीन्द्र कुमार द्वारा प्रतिनियुक्ति स्थान पर योगदान नहीं किया गया। उनका यह कृत्य सरकारी आदेश की अवहेलना, कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही एवं गंभीर अनुशासनहीनता का द्योतक है।

अतः डा0 नवीन्द्र कुमार, सीनियर रेजिडेन्ट, शिशु रोग विभाग, पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना के टेन्योर को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

19/06/19

(विवेकानन्द ठाकुर)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :–17/विविध 1–81/2016 – 410(17) **पटना, दिनांक :–** 19/6/19

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (ले0एवंह0), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०कोषांग) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्राचार्य/अधीक्षक, पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– संबंधित सीनियर रेजिडेन्ट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/अपर सचिव, (कौशल किशोर)/प्रशाखा पदाधिकारी–प्रशाखा 01,02,03,08,09 एवं 17, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :–आई० टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/06/19

सरकार के अवर सचिव।

D/Mukesh Sir/Adhisuchna